FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत ....उपखण्ड अधिकारी........ मुकाम ....कोटा........

........मांगीलाल........ बनाम ....सरकार........

किस्म मुकदमा ....136........ नं. ....26........ सन् 2026

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
2/1/26	ग्राम सेवा शिविर 2025 के तहत आयोजित कैम्प स्थान ग्राम पंचायत लाडपुरा में प्रार्थी मांगीलाल की ओर से प्रार्थना पत्र राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत पेश कर निवेदन किया है कि ग्राम अर्जुनपुरा पटवार हल्का सोगरिया में स्थित भूमि खाता संख्या 98 में सहखातेदारानों का हिस्सा 1/51 दर्ज है जो कि रामनाथ पुत्र केशो का हिस्सा 1/3 का फोती नामा0 सं0 1025 दिनांक 28.09.2025 मे दर्ज रिकार्ड हुए दौरान फौती नामा0 सहवन से वारिसान के हिस्से गलत दर्ज हो गये। अतः राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारो के हिस्से सही दर्ज किये जाने की कृपा करे। प्रार्थना पत्र के संबंध में तहसीलदार लाडपुरा से जॉच रिपोर्ट प्राप्त की गई। रिपोर्ट में तहसीलदार लाडपुरा द्वारा लिपिकीय त्रुटि से नामा0 सं0 1025 दिनांक 28.09.2025 से वारिसान के हिस्से गलत दर्ज हुए है जिन्हे मुताबिक प्रस्ताव अनुसार दर्ज किये जाने की अनुशंषा की है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर ग्राम अर्जूनपुरा की जमाबंदी खाता संख्या 98 में सभी सहखातेदारों के हिस्से सही दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त निर्णय आज दिनांक ....2/1/26........ को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो। (गजेन्द्र सिंह) उपखण्ड अधिकारी कोटा	